

# चंबल नदी के राजस्थान में बने बांध लबालब, कोटा बैराज से लगातार पानी की निकासी संभव

कैचमेंट एरिया में होने वाली बारिश से लगातार पानी की आवक होने पर निकासी की जाएगी

कोटा, (नि.सं)। चंबल नदी के राजस्थान में बने तीनों बांध में इस बार लबालब पानी है। ऐसे में इनका कैचमेंट एरिया में होने वाली बारिश से लगातार पानी की आवक होने पर निकासी की जाएगी। इसी के चलते

- कोटा बैराज से दो गेट खोलकर 6500 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है, जिसमें एक गेट 3 फीट और दूसरा 5 फीट खोला गया है

राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध से मशीन डिस्चार्ज किया जा रहा है। बिजली उत्पादन भी शुरू हो गया है। साथ ही कोटा बैराज से गेट डिस्चार्ज भी शुरू कर दिया गया है। इन तीनों डैम के गेट खुलेंगे तो पानी का डिस्चार्ज किया जाएगा। इसके बाद चंबल नदी कोटा से लेकर धौलपुर तक अलर्ट मोड पर रहेगी। इस बार यह तीनों डैम 96.69 फीसदी फुल हैं। इन तीनों की पूरी कैपेसिटी 3084.03 मिलियन क्यूबिक मीटर है, जबकि इनमें वर्तमान में पानी 2982.23 मिलियन क्यूबिक मीटर है।

राणा प्रताप सागर बांध के सहायक अभियंता हरीश तिवाड़ी का



कोटा बैराज से दो गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है।

कहना है कि मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित चंबल नदी के सबसे बड़े बांध गांधी सागर बांध का लेवल कम किया गया था। इसके चलते वहां से पानी डिस्चार्ज गर्मी के सीजन में हुआ था। राणा प्रताप सागर बांध उस समय खाली था। ऐसे में राणा प्रताप सागर बांध से पानी छोड़ने की जगह उसे स्टोर कर लिया गया। राणा प्रताप सागर बांध का लेवल बढ़ गया है। साल 2024 में 20 जून के दिन वहां पर फुल कैपेसिटी 2904.85 की एवज

में 1982.86 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी था। यह बीते साल करीब 68 फीसदी बारिश के सीजन की शुरुआत में भरा हुआ था। जबकि इस साल 2025 में यह 97 फीसदी भरा हुआ है। वर्तमान में इसमें 2819.63 एमसीएम पानी है। इसी दिन गेट से पानी डिस्चार्ज पहली बार पिछले साल हुआ था। जबकि इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। राणा प्रताप सागर बांध में 85 एमसीएम पानी आने के बाद यह फूल हो जाएगा। ऐसे में इस बार पूरी उम्मीद

है कि जून महीने में ही डैम से पानी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जबकि मशीन डिस्चार्ज शुरू हो गया है। सहायक अभियंता हरीश तिवाड़ी के मुताबिक राणा प्रताप सागर बांध में ज्यादातर पानी की आवक गांधी सागर बांध के पानी छोड़ने से होती है। इस बार गांधी सागर बांध बीते साल की अपेक्षा इस बार ज्यादा खाली है। बीते साल वहां कैपेसिटी 7164.94 एमसीएम की तुलना में 58 फीसदी यानी 4173.85 एमसीएम पानी था।

इस बार यह पानी महज 46.87 फीसदी यानी 3358.25 है। ऐसे में गांधी सागर बांध को भरने में काफी ज्यादा समय लगेगा लेकिन आरपीएस डैम के कैचमेंट एरिया में होने वाली बारिश के पानी को तुरंत निकालना पड़ेगा। जवाहर सागर बांध के केसमेंट एरिया में ब्राह्मणी नदी का भी पानी आता है। यह शुरुआत में हजारों क्यूसेक होता है और बाद में बढ़कर लाख क्यूसेक ऊपर भी चला जाता है। ऐसे में लगातार निकासी भी होगी।

कोटा बैराज की कुल क्षमता 112 मिलियन क्यूबिक मीटर के आसपास ही है। जबकि जवाहर सागर डैम की क्षमता 67.12 एमसीएम है। जबकि राणा प्रताप सागर बांध इन दोनों डैम की क्षमता से 16 गुना ज्यादा बड़ा है। ऐसे में राणा प्रताप सागर बांध से पानी की निकासी होने पर इन दोनों डैम से तत्काल निकासी की जाती है क्योंकि इनमें पानी को स्टोर ज्यादा नहीं किया जा सकता है।

कोटा बैराज से छोड़ा पानी : सहायक अभियंता निकिता पारेता ने बताया कि बारिश के सीजन को देखते हुए फ्लड सेल जल संसाधन विभाग ने चालू कर दी है। इसके जरिए हर चंटे डैम और उनके पानी की आवक व डिस्चार्ज की रिपोर्ट ली जा रही है। इसे 24 घंटे जिला कलेक्टर और जयपुर मुख्यालय को अपडेट भी कराया जाता है ताकि पानी डिस्चार्ज होने पर नीचे अलर्ट जारी हो सके। राणा प्रताप सागर बांध में 12167 क्यूसेक पानी की आवक हो रही है। मशीन के जरिए 1790 क्यूसेक डिस्चार्ज किया जा रहा है। जबकि जवाहर सागर बांध से 3800 क्यूसेक पानी आ रहा है जिसमें ब्राह्मणी नदी का पानी भी है। यहां से मशीन डिस्चार्ज किया जा रहा है। इसी तरह से कोटा बैराज से दो गेट खोलकर 6500 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। जिसमें एक गेट 3 फीट और दूसरा 5 फीट खोला गया है।

## टेम्पो ट्रक से 1 1 8 3 किलो घी व वेज फेट जब्त

- पाली जिले के विभिन्न गांवों में दुकान व प्रतिष्ठानों पर विक्रय हेतु जा रहा था घी

- खाद्य सुरक्षा अधिकारी मय दल द्वारा तेज बारिश के बावजूद देर रात 12 बजे तक कार्रवाई की

के चालक शक्ति सिंह रावत से पृष्ठतात करने पर बताया कि श्री श्याम फुड प्रोडेक्ट अजमेर के निर्माण एवं उत्पादक इकाई से घी व वेज फेट टेम्पो ट्रक में भरवाया गया, जो पाली जिले के विभिन्न गांवों में दुकान व प्रतिष्ठानों पर विक्रय हेतु जा रहा था। मामले को गम्भीरता से लेते हुये खाद्य सुरक्षा अधिकारी व सीएमएचओ ने जल सभी खाद्य पदार्थ को सीज कर उनके सेम्पल लिये। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल के साथ फूड सैफ्टी टेक्निशियन खुशाल चन्द सैन, ऑपरेटर और प्रकाश प्रजावत, लक्ष्मणदान चारण उपस्थित रहे।

डॉ. विकास मारवाल ने बताया कि राज्य सरकार के शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मिलावट के रोकथाम पर कार्रवाई करते हुये टेम्पो ट्रक से 6 ब्रांड के घी व वेज फेट जब्त करवाया गया।एफएसओ द्वारा टेम्पो ट्रक

किये इनमे घी ब्रांड सरल, नमस्ते कृष्ण, श्री राजवंशी सुपर सारथी घी, सरल के 15 किलो टोन व वेज फेट डेयरी सरस रिफायंड पॉम ऑयल सारस कुंकीण मीडियम ऑयल सहित आधा लीटर एक लीटर व पांच लीटर घी की सामग्री को सीज किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चन्द्र शर्मा ने बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधीकरण द्वारा बनाये गये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 कानून के तहत खाद्य पदार्थों में मिलावट का संदेह होने होने पर अजमेर के सराधना स्थित श्री श्याम फूड प्रोडेक्ट्स निर्माण एवं उत्पादक इकाई द्वारा बाजार में विक्रय के लिए जाने वाले घी पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मय दल द्वारा तेज बारिश के बावजूद देर रात 12 बजे तक कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर आने वाले यात्रियों के लिए शुक्रवार की सुबह निराशाजनक रही, जब एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या एआई 645 को तकनीकी समस्या के चलते रद्द करना पड़ा। यह फ्लाइट मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सुबह 9.15 बजे उड़ान भरने वाली थी और इसे जोधपुर में सुबह 11.05 बजे लैंड करना था लेकिन उड़ान से कुछ देर पहले ही एयरलाइंस को विमान में तकनीकी खराबी की सूचना मिली। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एयर इंडिया प्रबंधन ने तत्काल उड़ान रद्द करने का निर्णय लिया।

इस फैसले के बाद यात्रियों को खासी फेरशानी का सामना करना पड़ा। खासकर उन्हें जिनको जरूरी कार्यों के लिए यात्रा करनी थी। फ्लाइट के रद्द होने

- यात्रियों ने एयर इंडिया की ओर से समुचित जानकारी और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं मिलने की शिकायत एयरपोर्ट प्रशासन और एयर इंडिया अधिकारी से की, रिफंड जल्द उपलब्ध कराने की मांग की, यात्रियों ने नाराजगी जताई

की जानकारी यात्रियों को अंतिम समय में मोबाइल मैसेज के माध्यम से दी गई, जिससे कई यात्री अवमंजस की स्थिति में आ गए। कुछ यात्री पहले से एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, जिनमें वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। उन्हें वैकल्पिक उड़ान की तलाश करनी पड़ी या फिर अन्य माध्यमों से यात्रा के लिए रवाना हुए।

यात्रियों ने एयर इंडिया की ओर से समुचित जानकारी और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं मिलने की शिकायत

एयरपोर्ट प्रशासन और एयर इंडिया अधिकारी से की। यात्रियों ने एयर इंडिया से वैकल्पिक उड़ान की सुविधा या पूरा रिफंड जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की मांग की है। कई यात्रियों का कहना है कि उन्हें न तो काउंटर पर सही जानकारी मिल पाई और न ही हेल्पलाइन से कोई संतोषजनक जवाब मिला। कुछ यात्रियों ने सोशल मीडिया पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की और एयरलाइन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

## इंग्लिश मीडियम स्कूलों को 10 महीने बाद भी शिक्षक नहीं मिले

बीकानेर, (नि.सं)। प्रदेश के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में ऑनलाइन आवेदन के बाद अभ्यर्थियों को सीटों का आवंटन हो गया है। पिछले साल 25 अगस्त को हुई परीक्षा में शिक्षा विभाग को अभी तक इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पोस्टिंग नहीं मिली है। पदस्थान में विलंब से शिक्षकों में नाराजगी है।

आक्रोशित शिक्षकों माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षक संघ एलिमेंट्री सेकेंडरी

- आक्रोशित शिक्षकों माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में विरोध प्रदर्शन किया

टीचर एसोसिएशन (रेसटा) के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावत के नेतृत्व में शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के मुख्य प्रशासनिक भवन पर प्रदर्शन करके स्टाफ ऑफिसर डॉ. अशोक

कुमार शर्मा, उप निदेशक (प्रशासन) वीणा सोलंकी को मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में जल्द पदस्थान की प्रक्रिया शुरू करने, शिक्षा विभाग में तबादलों के लिए स्थायी तबादला नीति बनाने, तीन सत्रों की वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता की बकाया पदोन्नति व अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक की बकाया सभी सत्रों पदोन्नति अतिशीघ्र करवाने व समग्र शिक्षा के कार्यालय के 1382 पदों के

लिए इंटरव्यू का परिणाम जल्द जारी करने से संबंधित मांग शामिल हैं। उधर, शिक्षक संघ रेसला के प्रदेशाध्यक्ष गिरधारी गोदारा के नेतृत्व में भी शिक्षकों ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर विरोध प्रदर्शन कर अंग्रेजी माध्यम में स्कूलों में चर्चित शिक्षकों को जल्द से जल्द पोस्टिंग देने की मांग की। वार्ता में सहमति नहीं बनने पर शिक्षक संघ रेसला ने शिक्षा निदेशालय पर अनिश्चितकालीन धरना लगाने का निर्णय लिया है।

## रिश्वत मांगने के मामले में मोकलसर सरपंच निलंबित

- एबीसी ने 10 हजार की रिश्वत लेते ट्रैप किया था
- निलंबन अवधि के दौरान किसी भी पंचायत कार्य या कार्रवाई में भाग नहीं ले सकेगा सरपंच

इस मामले को एसीबी ने गंभीरता से लिया और सरपंच को कर्तव्यों में लापरवाही और अपकौर्तिकर आचरण का दोषी पाया। जिसके बाद उसे रीा हाथ देप करने के लिए जाल बिछाया गया और कार्रवाई को अंजाम देते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। निलंबन के बाद सरपंच को आरोप पत्र जारी किया गया है और वे निलंबन अवधि के दौरान किसी भी पंचायत कार्य या

कार्रवाई में भाग नहीं ले सकेंगे।

एसीबी को हनुमानगढ़ और बीकानेर की टीमों ने 24 मई को बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए सूरतगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मोकलसर के सरपंच गणेशाराम गोदारा को 10,000 रुपए रिश्वत लेते पुराना हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित आवास से रीा हाथों गिरफ्तार किया था।

एसीबी के महानिदेशक के मुताबिक एबीसी हनुमानगढ़ चौकी को शिकायत मिली थी कि मोकलसर सरपंच गणेशाराम गोदारा पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारी के पिता के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि स्वीकृत करवाने के बदले 12,000 रुपए रिश्वत मांग रहा था। शिकायत की सत्यता जांचने के बाद एसीबी ने जाल बिछाया और सरपंच गणेशाराम को 10,000 रुपए रिश्वत लेते मौके पर गिरफ्तार किया था।

## सरकारी कर्मचारी का संदिग्ध हालत में शव मिला

■ प्रथमदृष्टया आशंका जताई जा रही है कि किसी विषाक्त पदार्थ का सेवन किया हो

■ मौत के सही कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा, पुलिस ने जांच शुरू की

इलाके में शोक और भय का माहौल है। लोगों में इस बात को लेकर चर्चाएं हैं कि आखिर विष्णु पारीक की मौत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई। परिजन भी स्तब्ध हैं और उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है।

मांडल थाना प्रभारी विक्रम सिंह शेरावत ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि घटना से जुड़े कोई सुराग मिल सके। राजकीय कर्मचारी विष्णु पारीक को अचानक हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस मामले को हर एंगल से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि यह मामला आत्महत्या का है, दुर्घटना का या किसी साजिश का। उनकी मौत से परिवार और समाज में शोक की लहर है।

| कार्यालय नगरपरिषद, जालोर (राजस्थान)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| क्रमांक <span> </span> : नगरज/स्टोर / 2025 /ई-निविदा / 1794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | दिनांक <span> </span> :-- 12.06.2025 |  |
| :: ई-निविदा सूचना सं. 02/2025-26 ::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |  |
| नगरपरिषद, जालोर क्षेत्र में Maintenance Of Led Street Lights And Road Light Lines In Municipal Coucil (Uib) Area (Including Material &amp; Manpower/Labour) कार्य के लिए मात एव सेवाओं के उपपान के लिए दर सविदा विधाय वर्ष 2025-26 (31.03.2026) के लिए कार्य दर (रेट कोन्ट्रैक्ट) हेतु विभिन्न फर्मों, ठेकेदारों, अधिकृत डिलरों से एतद्वारा मोहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है-- |                                      |  |
| NIB CODE <span> </span> :-DLB2526A2387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | आयुक्त नगर से परिषद, जालोर           |  |
| राज.संवाद / सी / 25 / 4527                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |  |

| कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-चित्तौड़गढ़                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| क्रमांक-टी.एस./2025-26/ई-632                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | दिनांक-07.06.2025                      |
| <b>NOTICE INVITING BID - 11/2025-26</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| Bids for Construction of Atal Pragati Path Satpura Road to Retuliya Chowk (Ghosunda) in Division Chittorgarh Procurement are invited from interested Bidders upto 6.00 PM of 23.06.2025 Other particulars of the Bid may be visited on the Procurement Portal ( <a href="http://sppp.raajasthan.gov.in">http://sppp.raajasthan.gov.in</a> ) of the state website. The approximate value of the Procurement in Rs. 15797033.00 |                                        |
| NIB CODE-PWD2526A1182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
| UBN NO.-PWD2526WSOB04031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Executive Engineer PWD Dn. Chittorgarh |
| DIPRC/7858/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |

| कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड मालपुरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| क्रमांक <span> </span> : 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | निविदा सूचना संख्या: 08/2025-26 खण्ड मालपुरा | दिनांक <span> </span> : 9-6-2025 |                  |
| राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से खण्ड मालपुरा में सड़क भवन निर्माण हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान एवं राज्य सरकार के अन्य विभागों तथा केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / डाक एवं दूर संचार विभाग / रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संकेदों, जो कि उद्घाटन सरकार के "ए" एवं "एच." श्रेणी, "सी" श्रेणी के संकेदों के संदर्भ में, से करणी हेतु ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा प्रपत्र में प्राप्त की जायेगी। निविदा के सविधान विवरण वेबसाईट <a href="http://www.dipronline.org">http://www.dipronline.org</a> व <a href="http://www.eproc.raajasthan.gov.in">www.eproc.raajasthan.gov.in</a> एवं <a href="http://www.sppp.raajasthan.gov.in">www.sppp.raajasthan.gov.in</a> पर देखा जा सकता है। |                                              |                                  |                  |
| NIB code                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PWD2526A1187                                 | 6                                | PWD2526WSRC04064 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PWD2526WLB0B04051                            | 7                                | PWD2526WSRC04065 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PWD2526WSOB04053                             | 8                                | PWD2526WSRC04066 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PWD2526WSOB04057                             | 9                                | PWD2526WSRC04067 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PWD2526WSRC04062                             | 10                               | PWD2526WSRC04068 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PWD2526WSRC04063                             | 11                               | PWD2526WSRC04069 |
| DIPRC/7797/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड यात्रियों    |                                  |                  |

| राजस्थान सरकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |
| क्रमांक-F.32(B) (Model Shop)XL/2025-26-05066/170                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | दिनांक: 18.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |
| <b>मॉडल शॉप्स (Model Shops) के अनुनाप्रत्र हेतु ई-नीलामी आभारण सूचना</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |
| सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक ए.4 (1) वि/रा/आ/2025 दिनांक 29 जनवरी, 2025 के द्वारा जारी आबकारी एवं मय-रयन नीति वर्ष 2025-29 के प्रावधानानुसार मॉडल शॉप्स की ऑनलाईन ई-नीलामी के लिये विभागीय वेबसाईट <a href="https://iems.raajasthan.gov.in">https://iems.raajasthan.gov.in</a> पर निम्नानुसार ई-बोली आमंत्रित की जाती है:- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |
| क्र.सं.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | नीलामी की दिनांक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | नीलामी का समय                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 07-07-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | प्रातः 11.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ई-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाता द्वारा विभागीय वेबसाईट <a href="https://iems.raajasthan.gov.in">https://iems.raajasthan.gov.in</a> से अपने के माध्यम से लॉगइन करते हुए विभागिय ई-ऑक्शन पोर्टल में निर्धारित प्रक्रियानुसार दिनांक 07.06.2025 तक 11.00 बजे से एक वारीय पंजीकरण करने उपरान्त ऑनलाइन नीलामी में भाग लिया जा सकेगा। इच्छुक बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व संबंधय राजस्थान सरकार के पोर्टल <a href="https://sso.raajasthan.gov.in">https://sso.raajasthan.gov.in</a> पर "Citizen" केटेगरी के अन्तर्गत SSO ID बनाना होगा।         |                                      |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | नीलामी एक कार्य दिनांक में न्यूनतम पांच घण्टे की होगी एवं उसके पश्चात् जब तक बोली लागू रहे तब तक 10 मिनट के अन्तत विस्तार (indefinite extension) में बढ़ाकर ली जा रही होगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | बोलीदाता को कम से कम रु. 10,000/- अथवा रु. 10,000 के गुणांक में बढाकर बोली लगानी होगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | राज्य में शहरीय क्षेत्र जयपुर शहर में 05, जोधपुर में 02, उदयपुर में 02, माउन्ट आबू व आबूरोड एवं अन्य शहरों में एक-एक मॉडल शॉप आवंटित की जायेगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मॉडल शॉप की न्यूनतम रिजर्व प्राईस जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, माउन्ट आबू तथा आबूरोड के लिये राशि रुपये 6 करोड प्रति मॉडल शॉप तथा अन्य शहरों के लिये राशि रुपये 50 लाख प्रति मॉडल शॉप निर्धारित हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | बोलीदाता एक बार में रिजर्व प्राइस / पिछ्ठी बोली से 10 प्रतिशत से अधिक राशि बढाकर बोली नहीं लगा सकेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ऑनलाईन नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रति मॉडल शॉप का आवेदन शुल्क रुपये 50,000/- निर्धारित है, जो की अपरिहिय (Non-refundable) होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |
| 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मॉडल शॉप्स का जितेवार एवं उनके आवेदन शुल्क, न्यूनतम रिजर्व प्राईस एवं अमानत राशि का विवरण विभागीय वेबसाईट <a href="https://iems.raajasthan.gov.in">https://iems.raajasthan.gov.in</a> पर उपलब्ध रहेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |
| 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ऑनलाईन नीलामी में SSO ID के माध्यम से भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदक द्वारा मॉडल शॉप का चयन कर आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि यथासंभव नीलामी की तिथि से एक दिवस पहले रात 11.59 तक <a href="https://iems.raajasthan.gov.in">https://iems.raajasthan.gov.in</a> वेबसाईट पर बोलीदाता के ऑनलाईन भुगतान द्वारा इस वेबसाईट पर जमा हो जानी चाहिये। ऐसा करने से बोलीदाता विभिन्न प्रकार की तकनीकी समस्याओं से बच सकेगा। ऑनलाईन भुगतान नहीं होने या अन्यथा तकनीकी कारणों से निर्धारित राशिवाय जमा नहीं होने के कारण बोली में भाग नहीं ले पाने के लिये आवेदक स्वयं जिम्मेवार होगा। |                                      |
| 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रत्येक मॉडल शॉप के लिये ऑनलाईन नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित न्यूनतम रिजर्व प्राईस की 2 प्रतिशत राशि अमानत राशि के रूप में आवेदन के समय जमा करनी होगी। बिड राशि के अनुसार अतिरिक्त अमानत राशि (Dynamic Earnest Money) भी जमा करनी होगी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |
| 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सफल बोलीदाता को धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारंटी राशि एवं वार्षिक लाईसेन्स ई नीलामी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तों, नीलामी वेबसाईट पर उपलब्ध है के अनुसार जमा करनी होगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |
| 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | निर्धारित समय में वांछित राशिवाय यथा-धरोहर राशि, स्वीकृत वार्षिक गारंटी राशि एवं वार्षिक लाईसेन्स फीस जमा न कराने पर स्वीकृति निरस्त कर समस्त जमा राशि खारिज की जायेगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |
| 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | वर्ष 2025-26 के पात्र अनुभवाधारियों को वर्ष क्रमांक: 2026-27, 2027-28 व 2028-29 के लिये निर्धारित शर्तों पर अनुभवाप नवीनीकरण का अवसर दिया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
| 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व विभागीय वेबसाईट <a href="https://iems.raajasthan.gov.in">https://iems.raajasthan.gov.in</a> पर उपलब्ध आबकारी एवं मयचयन नीति एवं 2025-29, समस्त दिशा-निर्देश, प्रक्रिया एवं शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया जाना चाहिये।                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |
| 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मॉडल शॉप के बन्दोबस्त हेतु वे ही व्यक्ति ई-नीलामी में भाग ले सकेगें, जो राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों, आबकारी एवं मयचयन नीति वर्ष 2025-29 व भारतीय संचिता अधिनियम के तहत अनुबन्ध करने की योग्यता रखते हों। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश <a href="https://iems.raajasthan.gov.in">https://iems.raajasthan.gov.in</a> पर उपलब्ध है। अन्य जानकारी हेतु संबंधित अतिरिक्त आयुक्त जोन, जिला आबकारी अधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।                                                        |                                      |
| 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ई-नीलामी के संबंध में अन्य सभी प्राधान्य आबकारी एवं मयचयन नीति वर्ष 2025-29 तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बने नियम के अनुसार रहेगें।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |
| (शिक्षासद नकलें)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | आबकारी आयुक्त, राजस्थान              |
| DIPRC/8151/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |